

कार्यालय उप तहसीलदार(राजस्व) मुकलावा

मुकदमा नम्बर : 47

सन : 2019

सरकार बनाम मनदीप सिंह vs. सुजयकिशोर सिंह
पक्षिख २/० १९९.

निर्णय


दिनांक:- 06.09.2019

पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी उपस्थित/उपस्थित नहीं अप्रार्थी को सुना गया। अप्रार्थी पर नोटिस की तामिल हो चुकी है। बावजूद तामिल के उपस्थित न होने के कारण अप्रार्थी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी व गिरदावर हल्का अप्रार्थी ने चक 6PS के मु0न0 48,49 किला नं0 - के कुल 0.531 हैक्टे0 रकबा नहरी/बारानी राजकीय भूमि को फसल रबी/खरीफ ख0सं0 2076 में अनाधिकृत काश्त कर राजकीय भूमि पर अतिचार किया है। अप्रार्थी का यह कृत्य राजस्थान कोलोनाईजेशन एक्ट 1954 की धारा 22 के तहत दण्डनीय है। अप्रार्थी के इस कृत्य के लिए उसे उक्त धारा के अन्तर्गत दण्डित किया जाना न्यायोचित है। अतः मालगुजारी 8 प्रति हैक्टे0 0.531 का तावान 50 गुणा राशि 213/- के दण्ड से दण्डित कर उक्त रकबे से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। उक्त भूमि की फसल की फर्द कुर्की एवं फर्द निलामी प्रस्तुत करने हेतु संबंधित भू अभिलेख निरीक्षक को लिखा गया।



पटवारी हल्का की मतालबा ढालबाछ सम्बन्धित में कायम करने एवं तावान वसूल करने तथा भू-अभि0 निरीक्षक को उक्त रकबे से अप्रार्थी को बेदखल कर पालना रिपोर्ट पेश करने हेतु आदेश जारी है। तहसील राजस्व लेखाकार के रजिस्टर 'घ' में मांग दर्ज कराई जावे। पत्रावली फैसलशुमार की जाती है। बाद तरतीब तकमीन दाखिल दफतर हो। निर्णय सुनाया गया।


उप तहसीलदार
मुकलावा (श्रीगंगानगर)